जिसमें मृत्यु दण्ड भी एक सजा है, से दण्डादिष्ट किया गया है, कि ऐसे बन्दी ऐसी विधियों के उपबंधों के अधीन ऐसे विचारण के लिए वर्जित नहीं है. निर्मुक्ति के लिए पात्रता उसके बिना परिहार के दण्डादेश के वास्तविक कारावास के 14 वर्ष का दण्ड भुगतने के पश्चात् ही होगी:

परन्तु यह और कि आजीवन कारावास का दण्ड भुगत रहे अन्य समस्त बंदियों की समय पूर्व निर्मुक्ति के लिए विचारण केलव तभी किया जाएगा जब उन्होंने कम से कम 10 वर्ष का कारावास परिहार सहित भुगत लिया हो और दण्डादेश में बिना परिहार के 07 वर्ष का वास्तविक कारावास पूर्ण कर लिाय हो:

परन्तु यह भी कि उपरोक्त परंतुको में की कोई भी बात उन बंदियों को लागू नहीं होगी जिनके मामले माननीय राज्यपाल महोदय को भारत के संविधान के अनुच्छेद, 161 के अधीन विचारण के लिए मानवीय आधारों के विशेष कारणों से भेजे जाते हैं.''

Bhopal, the 24th March 2008

F.No. 3-40-2007-III-Jail.— In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Prisoners Release on Probation Act, 1954 (No. 15 of 1954), the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Prisoners Release on Probation Rules, 1964, namely :—

AMENDMENT

In the Said rules, in rule 4, for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of such prisoners who have been sentenced for life imprisonment, under Section 302 & 305 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860) or undder the provisions of other penal laws in which death sentence is also one of the punishments subject to the conditions that such prisoners are not barred for such consideration under the provisions of such laws, will be considered for premature release from the prison. The eligibility for release shall be after undergoing the sentence of 14 years of actual imprisonment without remission of his sentence:

Provided further that all other prisoners, undergoing the sentence of life imprisonment, will be considered for premature release only after they have undergone at least 10 years of imprisonment with remission and after the completion of 07 years of actual imprisonment without remission in sentence:

Provided also that nothing in the above provisons shall apply to the prisoners whose cases are being sent to the Hon'ble Governor for consideration under Article 161 of the Constitution of India, on special reasons of humanitarian grounds.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2008

क्र. एफ. 7-51-03-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामीण नियोजन (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त नियमों में विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचितयां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामीण नियोजन (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलीपिक वर्गीय) सेवा

विभाग का नाम (1)	सेवा में सम्मिलित पद का नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	अभ्युक्ति (6)
आवास एवं पर्यावरण विभाग.	1. मानचित्रकार (वास्तु मानचित्रकार, वरिष्ठ योजना सहायक, वरिष्ठ	31	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	5000—8000+25 रुपये विशेष वेतन.	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आवास एवं पर्यावरण विभाग.	2. वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	9	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	5500—9000	
	3. अनुसंधान सहायक	7	-तदैव-	5000—8000	
	4. उप यंत्री, (नगर निवेश निरीक्षक/ वरिष्ठ यांत्रिकी सहायक, उपयंत्री).	29	-तदैव-	5000—8000	
	5. वरिष्ठ भू-मापक	19	-तदैव-	4000—6000	
	6. कनिष्ठ भू-मापक	13	-तदैव-	3050—4590	
	7. कलाकार	1	-तदैव-	4500—7000	
	8. माडलर	7	-तदैव-	4000—6000	
	9. सहायक मानचित्रकार	28	-तदैव-	4000—6000	
	10. अनुरेखक	40	-तदैव-	3050—4590	
	11. फोटोग्राफर	1	-तदैव-	4000—6000	
	12. माडलर का सहायक	1	-तदैव-	3050—4590	
	13. नीलमुद्रक (फरोप्रिन्टर)	7	-तदैव-	3050—4590	
	14. अन्वेषक	23	-तदैव-	4500—7000	
	15. ग्रन्थपाल	1	-तदैव-	4500—7000	
	16. ड्रायवर	4	-तदैव-	3050—4590	
	17. ड्रायवर (आकस्मिकता निधि)	8	-तदैव-	3050—4590	आकस्मिक व्यय.
	18. कोडर	2	-तदैव-	4500—7000	
	19. अधीक्षक	7	-तदैव-	5500—9000	
	20. सहा. अधीक्षक	2	-तदैव-	5000—8000	
	21. सहा. ग्रेड-1	12	-तदैव-	4500—7000	
	22. शीघ्रलेखक ग्रेड-1 शीघ्रलेखक ग्रेड-2 शीघ्रलेखक ग्रेड-3	1 3 8	-तदैव-	6500—10500 5500—9000 4500—7000	
	23. सहायक ग्रेड-2	40	-तदैव-	4000—6000	
	24. सहायक ग्रेड-3	32	-तदैव-	3050—4590	
	25. स्टेनोटायपिस्ट	11	-तदैव-	3050—4590	
	26. स्टोर कीपर	6	-तदैव-	3500—5200	
	27. कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	-तदैव-	5000—8000	
	28. संपरीक्षक (आडिटर)	1	-तदैव-	4500—7000	

टिप्पणी.—1. अनुक्रमांक 1, 9, 12 में उल्लिखित पद मानचित्रकार के रूप में संयोजन (क्लब) किए गए हैं.

अनुसूची-दो
[नियम 6 देखिए]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामीण नियोजन (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलीपिक वर्गीय) सेवा

विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6 (क)द्वारा]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (ख)द्वारा]	अन्य सेवा के व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम 6(ग) द्वारा]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आवास एवं पर्यावरण विभाग.	1. मानचित्रकार	31		100 प्रतिशत	—	—
	2. वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	9	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	—	—
	3. अनुसंधान सहायक	7	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	—	—
	4. उप यंत्री	29	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	—	—
	5. वरिष्ठ भू-मापक	19	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	—	—
	6. कनिष्ठ भू-मापक	13	100 प्रतिशत	—	—	—
	7. कलाकार	1	100 प्रतिशत	—	—	—
	8. माडलर	7	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—	—
	9. सहायक मानचित्रकार	28	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	—	—
	10. अनुरेखक	40	100 प्रतिशत	—	—	—
	11. फोटोग्राफर	1	100 प्रतिशत	—	—	—
	12. माडलर का सहायक	1	100 प्रतिशत	—	—	—
	13. नीलमुद्रक (फरोप्रिन्टर)	7	100 प्रतिशत	—	—	—
	14. अन्वेषक	23	100 प्रतिशत	—	—	—
	15. ग्रन्थपाल	1	100 प्रतिशत	—	—	—
	16. ड्रायवर	4	100 प्रतिशत	—	—	—
	17. ड्रायवर (आकस्मिक व्यय)	8	100 प्रतिशत	—	—	—
	18. कोडर	2	100 प्रतिशत	—	—	—
	19. अधीक्षक	7	—	100 प्रतिशत	—	—
	20. सहा. अधीक्षक	2	—	100 प्रतिशत	—	—
	21. सहा. ग्रेड-1	12	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	—	—
	22. शीघ्रलेखक ग्रेड-1	1	—	100 प्रतिशत	—	—
	शीघ्रलेखक ग्रेड-2	3	—	100 प्रतिशत	—	—
	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	8	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	—
	23. सहायक ग्रेड-2	40	—	100 प्रतिशत	—	—
	24. सहायक ग्रेड-3	32	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	—
	25. स्टेनोटायपिस्ट	11	100 प्रतिशत	—	—	—
	26. स्टोर कीपर	6	100 प्रतिशत	—	—	—
	27. कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति).	1	—	—	प्रतिनियुक्ति द्वारा	—
	28. संपरीक्षक (आडिटर)	1	—	—	प्रतिनियुक्ति द्वारा	—

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामीण नियोजन (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलीपिक वर्गीय) सेवा

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	विभागीय चयन समिति के सदस्यों के नाम	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आवास एवं पर्यावरण विभाग.	1. वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	18	33	सांख्यिकी या अर्थशास्त्र या डेमोग्राफी या वाणिज्य या गणित या नगरीय भूगोल या समाज शास्त्र में द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि, उन उम्मीदवारों को अधिमान्यता दी जाएगी, जिन्हें सांख्यिकी या नगर निवेश संगठन के कार्य का अनुभव हो.	(1) अपर संचालक या उसकी अनुपस्थिति में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्रामीण नियोजन —अध्यक्ष (2) संयुक्त संचालक —सदस्य (3) उप संचालक (प्रशासन) संचालक द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी आयुक्त, —सदस्य (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि. **टिप्पणी.**—यदि इन अधिकारियों से कोई अगले कनिष्ठ अधिकारी को प्राधिकृत करता है तो वह समिति के सम्मिलन में भाग ले सकेगा.	
	2. अनुसंधान सहायक	18	33	सांख्यिकी या अर्थशास्त्र या डेमोग्राफी या वाणिज्य या गणित या नगरीय भूगोल या समाज शास्त्र में द्वितीय श्रेणी की स्नातक.		
	3. उप यंत्री	18	33	सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव.		
	4. वरिष्ठ भू-मापक	18	33	सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा या पोलीटेक्निक संस्था से सर्वेक्षक का प्रमाण पत्र के साथ 2 वर्ष का अनुभव.		
	5. कनिष्ठ भू-मापक	18	33	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से सर्वेक्षक का प्रमाण-पत्र.		
	6. माडलर	18	33	मॉडलिंग में डिप्लोमा.		
	7. कलाकार	18	33	व्यवसायिक कला में डिप्लोमा के साथ फोटोग्राफी में विशेषज्ञता.		
	8. सहायक मानचित्रकार	18	33	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आर्किटेक्ट में डिप्लोमा या मानचित्रकार में डिप्लोमा.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9. अनुरेखक	18	33	हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट) तथा प्रारंभिक और इंटरमीजिएट ड्राईंग परीक्षा उत्तीर्ण.		
	10. फोटोग्राफर	18	33	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा फोटोग्राफी में डिप्लोमा.		
	11. माडलर का सहायक	18	33	बढ़ईगिरी का अच्छा ज्ञान तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण.		
	12. नीलमुद्रक (फैरोप्रिन्टर)	18	33	नील मुद्रण (फैरोप्रिंटर) कार्य का ज्ञान, हायर सेकेन्डरी तक की शैक्षणिक अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा.		
	13. अन्वेषक	18	33	वाणिज्यि/कला/भूगोल या विज्ञान के साथ गणित या सांख्यिकी एक विषय रहा हो स्नातक उपाधि.		
	14. ग्रंथपाल	18	33	स्नातक और लायब्रेरी साईन्स में डिप्लोमा या उपाधि.		
	15. ड्रायवर	18	33	हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा वाहन चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति.		
	16. कोडर	18	33	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या दो वर्ष के अनुभव के साथ समकक्ष अर्हता.		
	17. शीघ्रलेखक	18	33	हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आंशुलिपिक (शार्टहेण्ड) तथा टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण-पत्र तथा कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य.		
	18. सहायक	18	33	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	सहायक ग्रेड-3	18	33	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है.		
20.	स्टेनो टायपिस्ट	18	33	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रलेखन, शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है.		
21.	स्टोर कीपर	18	33	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा स्टोरकीपर के कार्य का 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है.		

अनुसूची-चार

(नियम 13 देखिए)

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामीण नियोजन (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी हो	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हो	विभागीय पदोन्नति के लिये अपेक्षित अनुभव एवं योग्यता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आवास एवं पर्यावरण विभाग.	(1) अनुसंधान सहायक	वरिष्ठ सहायक	अनुसंधान सहायक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.	(1) अपर संचालक या उसकी उपस्थिति में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम नियोजन —अध्यक्ष	
	(2) अन्वेषक	अनुसंधान सहायक	अन्वेषक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.	(2) संयुक्त संचालक प्रशासन —सदस्य	
	(3) वरिष्ठ भू-मापक	उप यंत्री/टी.पी.आई.	वरिष्ठ भू-मापक के पद पर 4 वर्ष का अनुभव.	(3) संचालक/आयुक्त द्वारा नाम निर्देशत संयुक्त संचालक. —सदस्य	
	(4) कनिष्ठ भू-मापक	वरिष्ठ भू-मापक	कनिष्ठ भू-मापक के पद पर 4 वर्ष का अनुभव.		
	(5) सहायक मानचित्रकार.	वरिष्ठ मानचित्रकार/ वास्तु मानचित्रकार	सहायक मानचित्रकार के पद पर 4 वर्ष का अनुभव.	(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि.	
	(6) अनुरेखक	सहायक मानचित्रकार	अनुरेखक के पद पर 4 वर्ष का अनुभव.	**टिप्पणी.**—यदि इन अधिकारियों से कोई अगले कनिष्ठ अधिकारी को प्राधिकृत करता है तो वह समिति के सम्मिलन में भाग ले सकेगा.	
	(7) माडलर का सहायक	मॉडलर	माडलर के सहायक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(8) सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	सहायक अधीक्षक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.		
	(9) सहायक ग्रेड-1	सहायक अधीक्षक	सहायक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव अन्यथा कुल 8 वर्ष की सेवा.		
	(10) सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-1	-सहायक ग्रेड-2 के पद पर 5 वर्ष का अनुभव अन्यथा कुल 8 वर्ष की सेवा.		
	(11) सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-3 के पद पर 8 वर्ष का अनुभव.		
	(12) स्टेनोटायपिस्ट	स्टेनोग्राफर	मान्यता प्राप्त संस्था से शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण एवं स्टेनोटायपिस्ट के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.		
	(13) चतुर्थ श्रेणी पद	सहायक ग्रेड-3	किसी चतुर्थ श्रेणी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण.		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2008

क्र. एफ-7-51-03-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-51-03-बत्तीस, दिनांक 5 अप्रैल 2008 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th April 2008

No. F. 7-51-03-XXXII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Town & Country Planning (Class III Ministerial and Non-Ministerial) Services Rules, 1972, namely :—

AMENDMENT

In the said ruels to existing Schedule I, II, III & IV, the following schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-1
(See Rules)
Madhya Pradesh Town & Country Planning (Class III Ministerial and Non-Ministerial)

Name of Deptt. (1)	Name of the posts included in the Services (2)	No. of posts (3)	Classification (4)	Scales of Pay (5)	Remarks (6)
Housing & Environment.	1. Draftsman (Architectural Draftsman, Senior Planning Assistant, Senior Draftsman.	31	Class III Non Ministerial.	5000—8000+Rs. 25 Special Pay.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Housing & Environment.	2. Senior Research Assistant	9	Class III Non Ministerial.	5500—9000	
	3. Research Assistant	7	—Do—	5000—8000	
	4. Sub-Engineer (TPI/Senior Engineering Assistant, Sub-Engineer).	29	—Do—	5000—8000	
	5. Senior Surveyor	19	—Do—	4000—6000	
	6. Junior Surveyor	13	—Do—	3050—4590	
	7. Artist	1	—Do—	4500—8000	
	8. Modeler	7	—Do—	4000—6000	
	9. Assistant Draftsman	28	—Do—	4000—6000	
	10. Tracer	40	—Do—	3050—4590	
	11. Photographer	1	—Do—	4000—6000	
	12. Helper to Modeler	1	—Do—	3050—4590	
	13. Ferro-Printer	7	—Do—	3050—4590	
	14. Investigator	23	—Do—	4500—7000	
	15. Librarian	1	—Do—	4500—7000	
	16. Driver	4	—Do—	3050—4590	
	17. Driver (Contingency Fund)	8	—Do—	3050—4590	(Contingency Fund)
	18. Coder	2	—Do—	4500—7000	
	19. Superintendent	7	Class III Non Ministerial.	5500—9000	
	20. Assistant Superintendent	2	—Do—	5000—8000	
	21. Assistant Grade-1	12	—Do—	4500—7000	
	22. Stenographer-1	1	—Do—	6500—10500	
	Stenographer-2	3		5500—9000	
	Stenographer-3	8		4500—7000	
	23. Assistant. Grade-II	40	—Do—	4000—6000	
	24. Assistant. Grade-III	32	—Do—	3050—4590	
	25. Steno typist	11	—Do—	3050—4590	
	26. Storekeeper	6	—Do—	3500—5200	
	27. Junior Accountant Officer	1	—Do—	5000—8000	
	28. Auditor	1	—Do—	4500—7000	

Note:—Post mentioned at—

1. S. No. 1, 9 and 12 are Clubbing as a Draftsman.
2. S. No. 2, 5 and 6 are Clubbing as Sub-Engineer.
3. S. No. 25 and 26 are Clubbing as Assistant Grade II.

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

Madhya Pradesh Town & Country Planning (Class III Ministerial and Non-Ministerial) Services

Name of Deptt.	Name of the Post	Total Number of post	Percentage of the No. post to be filled			Remarks
			By Direct Recruitment *vide* Rule 6 (a)	By promotion of member of service *vide* Rule 6 (b)	By Transfer of persons from other service *vide* Rule 6 (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Housing & Environment.	1. Draftsman	31		100%	-	-
	2. Senior Research Assistant	9	25%	75%	-	-
	3. Research Assistant	7	25%	75%	-	-
	4. Sub-Engineer	29	25%	75%	-	-
	5. Senior Surveyor	19	25%	75%	-	-
	6. Junior Surveyor	13	100%	-	-	-
	7. Artist	1	100%	-	-	-
	8 Modeler	7	50%	50%	-	-
	9. Assistant Draftsman	28	25%	75%	-	-
	10. Tracer	40	100%	-	-	-
	11. Photographer	1	100%	-	-	-
	12. Helper to Modeler	1	100%	-	-	-
	13. Ferro-Printer	7	100%	-	-	-
	14. Investigator	23	100%	-	-	-
	15. Librarian	1	100%	-	-	-
	16. Driver	4	100%	-	-	-
	17. Driver (Contingency exps)	8	100%	-	-	-
	18. Coder	2	100%	-	-	-
	19. Superintendent	7	-	100%	-	-
	20. Assistant Superintendent	2	-	100%	-	-
	21. Assistant Grade-1	12	25%	75%	-	-
	22. Stenographer-1	1	-	100%	-	-
	Stenographer-2	3	-	100%	-	-
	Stenographer-3	8	75%	25%		
	23. Assistant. Grade-II	40	-	100%	-	-
	24. Assistant. Grade-III	32	75%	25%		
	25. Steno typist	11	100%	-	-	-
	26. Storekeeper	6	100%	-	-	-
	27. Junior Accountant Officer	1	-	-	By deputation	-
	28. Auditor	1	-	-	By deputation	-

SCHEDULE-III
(*See Rule* 8)

Madhya Pradesh Town & Country Planning (Class III Ministerial and Non-Ministerial) Services

Name of Depptt.	Name of the post	Minimum Age Limit	Upper Age Limit	Educational Qualification prescribed	Name of the member of Departmental Selection Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Housing & Environment	1 Senior Research Assistant	18	33	II Class M. A. in statistics or Economics or Demography or Commerce or Mathematics or Urban Geography or Social Science persons with experience in Statistical organization or Town Planning organization will be preferred.	1. Additional Director or in his absence Joint Director Town & Country Planning —Chairman. 2. Joint Director —Member.	
	2. Research Assistant	18	33	II Class Graduate in Statistics or Economics or Demography or Commerce or Mathematics or Urban Geography or Social Science.	3. Deputy Director (Administration) to be nominated by Director/ Commissioner —Member	
	3. Sub-Engineer	18	33	Degree in Civil Engineering or 3 year diploma in Civil Engineering with 2 years Experience.	4. Representative of SC & ST	
	4. Senior Surveyor	18	33	3 years Diploma in Civil Engineering or Surveyors certificate from Polytechnic with 2 years experience.	Note.—If any of these Officers is authorize to any next junior Officer, he may	
	5. Junior Surveyor	18	33	Higher Secondary passed & Surveyors Certificate from I. T. I.	take part in the meeting of the Committee.	
	6. Modeler	18	33	Diploma in Modeling		
	7. Artist	18	33	Diploma in Commercial Arts with Specialization organization.		
	8. Assistant Draftsman	18	33	Diploma in Architecture or Diploma in Draftsmenship from the recognized by the State Government.		
	9. Tracer	18	33	Higher Secondary School certificate and Elementary & Intermediate Drawing Examination is passed.		
	10. Photo-grapher	18	33	Higher Secondary Passed & Diploma in Photography.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	11. Helper to Modeler	18	33	Should have Good knowledge in Carpentry and person with Higher Secondary Examination Passed.		
	12. Ferro-Printer	18	33	Good Knowledge of Ferro-printing work preference will be given to having educational qualification up to Higher Secondary Examination.		
	13. Investigator	18	33	A Bachelor's Degree either in Commerce, Arts, Geography or Science with Mathematics or Statistics as one of the subject.		
	14. Librarian	18	33	Graduate with Deploma or Degree in Library Science.		
	15. Driver	18	33	High School/Higher Secondary passed and having a valid Driving License.		
	16. Coder	18	33	Graduate in Computer application from the recognized University or graduate or equivalent qualification with 2 years experience.		
	17. Stenographer	18	33	Higher Secondary Examination with Certificate of passing the Shorthand and Typewriting examination from recognized institutions and knowledge of Computer essential.		
	18. Assistant	18	33	Graduate Degree from recognized University and through limited Department Examination.		
	19. Assistant Grade III	18	33	Higher Secondary Examination with passing Typewriting Examination from recognized institutions and knowledge of Computers.		
	20. Steno-typist	18	33	Higher Secondary Examination with Certificate of passing the shorthand and Typewriting examination from recognized institutions and knowledge of Computer.		
	21. Store-keeper	18	33	Higher Secondary Examination passed and 2 years experience		

SCHEDULE-IV

(See Rule 13)

Madhya Pradesh Town & Country Planning (Class III Ministerial and Non-Ministerial)

Name of Depptt.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of Service or post to which promotion is to be made	Experience and Qualification for Departmental Promotion	Name of the member of Departmental Selection Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Housing & Environment.	1. Research Assistant	Senior Research Assistant	5 years Experience on the post of Planning or Research Assistant.	1. Additional Director or in his absence Joint Director Town & Country Planning. —Chairman. 2. Joint Director (Administration) —Member.	
	2. Investigator	Research Assistant	5 years Experience on the post of Investigator.	3. Joint Director to be nominated by Director/ Commissioner —Member.	
	3. Senior Surveyor	Sub-Engineer/ TPI	4 years Experience on the post of Senior Surveyor	4. Representative of SC & ST.	
	4. Junior Surveyor	Senior Surveyor	4 years Experience on the post of Junior Surveyor	**Note**—If any of these officers is authorised to any next Junior Officer, he may take part in the meeting of Committee.	
	5. Assistant Diraftsman	Senior Draftsman/ Architectural Draftsman.	4 years Experience on the post of Assistant Draftsman.		
	6. Tracer	Assistant Draftsman.	4 years Experience on the post of Tracer.		
	7. Helper to Modeler	Modeler	5 years Experience on the post of Helper to Modeler.		
	8. Assistant Superintendent.	Superintendent	5 years Experience on the post of Assistant Superintendent.		
	9. Assistant Grade-1	Assistant Superintendent	5 years Experience on the post of Assistant, failing that total service of 8 years.		
	10. Assistant Grade-II	Assistant Grade-1	5 years Experience on the post of Assistant, Grade II failing that total Service of 8 years.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Housing & Environment.	11. Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	8 years Experience on the post of Assistant, Grade III.		
	12. Steno Typist	Stenographer	Certificate of passing the shorthand & Typing examination from recognized institution. 5 years Experience on the post of Steno Typist.		
	13. Class IV post	Assistant Grade-III	5 years Experience of any class IV post who have passed Higher Secondary Examination.		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. B. OJHA, Dy. Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2008

क्र. एफ. 10-63-06-पचास-2.—राज्य शासन रानी अवंतिबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार नियम, 2006 के नियम 12 एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवक पुरस्कार नियम, 2006 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इन नियमों में नियमानुसार संशोधन करता है—

(1) **रानी अवंति बाई वीरता पुरस्कार 2006.**—नियम 8.5 सेवाकार्य मध्यप्रदेश राज्य में महिलाओं से ही संबंधित होना चाहिए के स्थान पर सेवा/शौर्य कार्य मध्यप्रदेश राज्य की महिलाओं के द्वारा होना चाहिए पढ़ा जाये.

(2) **राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2006.**—नियम 8.5 सेवा कार्य मध्यप्रदेश राज्य में महिलाओं से ही संबंधित होना चाहिए, के स्थान पर समाज सेवा कार्य मध्यप्रदेश राज्य की महिलाओं के द्वारा होना चाहिए पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.